12/3/2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे जवाब सरकार व पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत है। जवाब सरकार के अनुसार वाद स्वीकार है। अत: वाद स्वीकार कर वादी का नाम चौथमल पुत्र गंगाबिशन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास पढ़कर सुनाया गया विस्तृत निर्णय लिखकर पृथक से नत्थी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

चौथमल

हरिप्रसाद

नं-व.प्र
(मोहनलाल पोटरिया)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बईजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 109/2021 तारीख दायरा 15.09.2021

उनवान

चौथमल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा। – वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। – प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :–

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादीनी) दिनांक :– 25.02.2022

श्री सरकार पैरोकार

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :–

खाता सख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
142	139	166	0.6900 है.

कुल किता 1 [illegible] 0.69[illegible] हैक्टर आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:03 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में वादी के नाम अधिकार अभिलेख में हरिशंकर पुत्र गंगाविशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज किया गया हुआ है

उपखण्ड अधिकारी

355	0.5800 है.
488/78 उत्तरी	0.5200 है.
59	0.8300 है..

कुल किता 7 की 2.11 हैक्टर आराजी

वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादीनी का गांव में बोलने वाला नाम गोलू ही दर्ज कर दिया। वादीनी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, भामाशाह कार्ड व शिक्षा रेकार्ड में मुगलेश पुत्री लालचन्द दर्ज है। वादीनी के ही दो नाम गांव में बोलने वाला नाम गोलू व रेकार्डेड नाम मुगलेश है लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है, वादीनी के अलावा और कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है। वादीनी केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में अपना नाम रजिस्ट्रर करवाने के लिए ई–मित्र कियोस्क पर गई तो ई–मित्र संचालक ने खाते में व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में एक ही नाम होने पर ही केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर करने की कही। वादीनी को केन्द्र सरकार की योजना का लाभ वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में व अन्य दस्तावेजात मे नाम सही होने तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर करने से इन्कार कर दिया इस कारण से वादीनी के लिए आवश्यक होने पर वादीनी पटवारी हलका के पास गई, उनके द्वारा वादीनी का नाम सही नहीं करने पर वादीनी प्रतिवादी के पास गई तो प्रतिवादी द्वारा भी वादीनी का नाम सही नहीं किया इस कारण से वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित आराजी में दर्ज वादीनी के नाम गोलू पुत्री लालचन्द्र जाति गूर्जर निवासी घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर मुगलेश गोचर पुत्री लालचन्द्र जाति गूर्जर निवासी घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज करने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। सूचना होने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब सरकार बंद किया जाता है। इसके पश्चात वादीनी ने ग्राम पंचायत श्यामपुरा के सरपंच का गोलू पुत्री लालचन्द्र एवं मुगलेश गोचर पुत्री लालचन्द्र एक ही व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:45:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रतिवादी ने वादी का गांव मे बोलने वाला नाम हरिशंकर ही दर्ज कर दिया। वादी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, मामाशाह कार्ड व शिक्षा रेकार्ड में चौथमल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज है। वादी के ही दो नाम गांव में बोलने वाला नाम हरिशंकर व रिकार्डेड नाम चौथमल है लेकिन दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है, वादी के अलावा और कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है।

वादी केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में अपना नाम रजिस्ट्रर करवाने के लिए ई–मित्र कियोस्क पर गया तो ई–मित्र संचालक ने खाते में व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में एक ही नाम होने पर ही केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर करने की कही। वादी को केन्द्र सरकार की योजना का लाभ वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में व अन्य दस्तावेजात में नाम सही होने तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर करने से इन्कार कर दिया इस कारण से वादी के लिए आवश्यक होने पर वादी पटवारी हलका के पास गया, उनके द्वारा वादी का नाम सही नहीं करने पर वादी प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी द्वारा भी वादी का नाम सही नहीं किया। इस कारण से वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि माल ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या 142 की खसरा नम्बर 166 की 0.6900 है. कुल किता 1 की 0.6900 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी का नाम हरिशंकर पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर चौथमल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा करने की कृपा करने का निवेदन है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। पटवारी हलका श्यामपुरा द्वारा चौथमल एवं हरिप्रसाद पुत्रान गंगाबिशन जाति माली के ग्राम श्यामपुरा में निवास करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। वादी के भाई हरिप्रसाद ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी में हरिशंकर पुत्र गंगाबिशन के स्थान पर चौथमल पुत्र गंगाबिशन किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, हरिप्रसाद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पटवारी रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त कार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम डंडिया पटवार हलका कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा की खाता संख्या 142 की खसरा नम्बर 166 की 0.6900 है. कुल किता 1 की 0.6900 हैक्टर आराजी में दर्ज वादी का नाम हरिशंकर पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर चौथमल पुत्र गंगाबिशन जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 25.02.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:03 IST
Reason: SelfAttested